संख्या-43/2021/359/35-3-2021-27(01)/2019

प्रेषक,

डा0 संजीव भारद्वाज,
संयुक्त सचिव,
नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
श्रावस्ती ।

नियोजन अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 23 अक्टूबर, 2021

विषयः वित्तीय वर्ष 2019-20 में बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद-श्रावस्ती में मॉडल विलेज हेतु मोबाइल डिस्पेन्सरी कम एम्बुलेन्स क्रय हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में जनपद-श्रावस्ती में मोबाइल डिस्पेन्सरी कम एम्बुलेन्स क्रय से सम्बन्धित परियोजना हेतु रू. 80.00 लाख (रू. अस्सी लाख) मात्र की लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुये केन्द्रांश एवं राज्यांश के सापेक्ष क्रमशः रू. 48.00 लाख एवं रू. 32.00 लाख अर्थात कुल रू. 80.00 लाख की धनराशि निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्नांकित विवरण के अनुसार आपके निवर्तन पर व्यय हेतु रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि लाख रू. में)

क्र.सं०	**विकासखंड का नाम**	परियोजना का नाम	एस.एल.एस.सी एवं भारत सरकार द्वारा अनुमोदित लागत (जी.एस.टी.नियमानुसार/वास्तविक व्यय के आधार पर देय होगी)	स्वीकृत धनराशि में (केन्द्रांश 60 प्रतिशत)	स्वीकृत धनराशि में (राज्यांश 40 प्रतिशत)
		कार्यदायी संस्था- स्वास्थ्य विभाग			
1	सिरसिया	माडल ग्राम-भरथा रोशनगढ़ में मोबाइल डिस्पेन्सरी कम एम्बुलेन्स का क्रय ।	80.00	48.00	32.00
		योग	**80.00**	**48.00**	**32.00**

उपरोक्त कार्य हेतु जिलाधिकारी द्वारा कार्यदायी संस्था का चयन किया जायेगा। उक्त परियोजना में निर्माण कार्य न होने के कारण पी.एफ.ए.डी. द्वारा प्रस्ताव को मूल्यांकित नहीं किया गया है। अतः जिलाधिकारी द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार के निर्धारित मानकों एवं लागत के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही किया जायेगा तथा कृत कार्यवाही से नियोजन विभाग को अवगत कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1- अवमुक्त धनराशि उसी मद पर व्यय की जायेगी, जिसके लिये स्वीकृत की गयी है और इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा। परियोजना/योजना पर किया जाने वाला व्यय स्वीकृत धनराशि तक ही सीमित रखा जायेगा।

2- जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविक व्यय के आधार पर देय होगी। अतः जी0एस0टी0 की धनराशि उपरोक्त तालिका के इंगित कार्यों में सम्मिलित नही है। अतः जी0एस0टी0 की धनराशि जनपदों द्वारा वास्तविक व्यय सम्बन्धी प्रमाणपत्र उपलब्ध कराये जाने पर देय होगी।

3- स्वीकृत कार्य को प्रारम्भ करने के लिये अधिकृत कार्यदायी संस्था को शीघ्र कार्यादेश निर्गत किया जायेगा, जिसके साथ अनुमोदित आगणन की एक प्रति कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।

4- निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुये कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। विस्तृत आगणन यदि अनुमोदित मूल आगणन से उल्लेखनीय रूप से भिन्न होते हैं, तो कार्य की वास्तविक लागत को शासन स्तर से अनुमोदित कराया जाना अपेक्षित होगा। इस प्रकार अनुमोदित विस्तृत आगणन की प्रति कार्यस्थल के विवरण इत्यादि सहित कार्यदायी संस्था द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

5- कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा सुसंगत आदेशों के अन्तर्गत किया जायेगा।

6- जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिये कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुये समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी। पूर्ण किये गये कार्यों का नियोजन विभाग द्वारा नामित थर्ड पार्टी निरीक्षणकर्ता टीम द्वारा निरीक्षण किया जायेगा। उक्त निरीक्षणकर्ता टीम को अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जाएगा।

7- द्विरावृत्ति से बचने के लिये कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एवं कार्य पूर्ण करने के बाद वीडियोग्राफी एवं भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये मोबाइल लिंक जिसे सम्बन्धित जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी के मोबाइल पर शेयर किया गया है, पर जियोटैगिंग कराई जायेगी।

8- उक्त परियोजनाओं से सृजित परिसंपत्तियों का अनुरक्षण सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा अपने संसाधनों से एवं आवश्यकतानुसार बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध धनराशि से कायर्दायी संस्थाओं के सहयोग से किया जायेगा। साथ ही परियोजनाओं के पूर्ण होने तथा सृजित परिसंपत्तियों को सम्बन्धित को हस्तांतरित किये जाने का प्रमाण-पत्र जिलाधिकारी द्वारा नियोजन विभाग को प्रस्तुत किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

9- अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग समयबद्ध ढंग से विलम्बतम् दिनांक 30 नवम्बर, 2021 तक कर लिया जाय। अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं कार्य की **भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियोजन विभाग को उपलब्ध कराये जायेंगे।** इसके अतिरिक्त कार्य हेतु राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा। **वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात तीन माह में अर्थात दिनांक 30 जून, 2022 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा ।**

10- भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11- व्यय/अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

12- प्रश्नगतकार्य प्रारम्भ करने के पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना की विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

13- कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रशासकीय विभाग की होगी तथा प्रशासकीय विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जायें तथा भविष्य में प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नही होगा।

14- स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग यथास्थिति प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा अंकित शर्तो एवं निर्देशों का पूर्णतयः अनुपालन किया जायेगा।

15- प्रशासकीय विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक आपत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

16- भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार धनराशि निर्गत की जायेगी।

17- प्रशासकीय विभाग द्वारा समय-समय पर कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुये गुणवत्तापरक कार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

18- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

19- प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

20- प्रशासकीय विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्त्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य-योजना में सम्मिलित है।

21- उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो इसे प्रशासकीय विभाग अपने स्तर से सुनिश्चित करना चाहेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

22- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2021 के प्रस्तर-9 (क)(ख) के अनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

23- वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2021 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

24- प्रशा0 विभाग द्वारा अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

25- प्रशा0 विभाग द्वारा अवमुक्त की गयी सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उपलब्ध करा दिया जायेगा।

26- वित्तीय नियमों का अनुपालन जी0एफ0आर0-2017 के अनुसार किया जायेगा।

27- मोबाईल डिस्पेन्सरी/एम्बुलेन्स वैन की स्थापना में प्रयोग की जाने वाली सामग्री का क्रय स्टोर परचेज नियमों तथा समय-समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेशों एवं नियमों के अनुसार ही किया जायेगा तथा कार्य के अनुमान/आगणन पर यथाविधि सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।

स्वीकृत धनराशि के समक्ष होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40-के लेखाशीर्षक-4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय-06-बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-03–सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उपकेन्द्रों के भवन निर्माण/विस्तार के लिये एकमुश्त व्यवस्था (केन्द्रांश-60/राज्यांश-40-के.+रा.)-14-मोटर गाड़ियों का क्रय के नामें डाला जायेगा। प्रश्नगत मद में संलग्न पुनर्विनियोग आदेश संख्या आर.ई.79/ई.-5-62(1)/10/2021 दिनांक 05 अक्टूबर, 2021 द्वारा पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत की गयी है।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या-ई-5-62(1)/दस-2021 दिनांक 05 अक्टूबर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(डा0 संजीव भारद्वाज)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-43/2021/359(1)/35-3-2021-27(01)/2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- अपर मुख्य सचिव वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0 शासन ।
2- प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन ।
3- मण्डलायुक्त, देवीपाटन मण्डल।
4- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
5- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज ।
6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8- कोषाधिकारी, श्रावस्ती।
9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5 ।
10- उप निदेशक, देवीपाटन (अर्थ एवं संख्या) मण्डल।
11- अर्थ एवं संख्याधिकारी, श्रावस्ती।
12- राज्य योजना आयोग अनुभाग।-
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 संजीव भारद्वाज)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।